न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 2/2009

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
01.बलवन्तराम पुत्र मोडमल जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.श्रीमती वरजू पत्नि मोडमल जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जोधपुर।		01 भीडगल पुत्र जगराम जाति विश्नोई निवासी साबरमती अहमदाबाद गुजरात 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता लाधूराम पूनिया उपस्थित।
02.अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नाहरसिह सोलकी उपस्थित।

निर्णय दिनांक 7/10/2014

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व कब्जासुद्धा उपयोग व उपयोग की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 11/2 रकबा 7 बीधा खसरा नम्बर 12 रकबा 19 बीधा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 17/1 रकबा 21 बीधा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 141/3 रकबा 16 बीधा कुल रकबा 63 बीधा 11 बिस्वा ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी मे आई हुई है उक्त खसरान् की भूमि पर कब्ज काश्त जगराम जी के जीवनकाल से प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा चला आ रहा है जिसमे प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी व मकान बने हुए है जिसमे प्रार्थीगण अपने परिवार सहित रहते आ रहे हैं उक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है और सभी का शामलाती कब्जा उपयोग एव आधिपत्य है उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण को छोडकर गुजरात चला गया अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जब प्रार्थीगण को छोडकर गुजरात गये तब गुजरात जाकर दूसरा विवाह कर लिया तब से लेकर अप्रार्थी संख्या 01 गुजरात मे निवास कर रहे है तथा गुडा विश्नोइयान गाव मे आई हुई उपरोक्त खातेदारी की भूमि को तथा प्रार्थीगण के परिवार को छोडकर चला गया जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के वादग्रस्त भूमि को बाबत जो भी खातेदारी अधिकार थे इस पैतृक सम्पति से उसके द्वारा अपनी धर्मपत्नि व बच्चे को छोडकर नई शादी कर लेने से समाप्त हो गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 जब ग्राम गुडा विश्नोइयान को छोडकर जाने के वाद आज दिन तक वापिस आकर कभी भी खेती नही की गई इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि की बाबत कानून समाप्त हो गये तथा प्रार्थीगण की पैतृक भूमि को बाबत कानूनन समाप्त हो गया तथा प्रार्थी गण की पैतृक सम्पति पर जन्म से खातेदारी अधिकार होने से स्व जगराम के जीवनकाल से वादग्रस्त भूमि पर काबिज चला रहा है सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर उनकी खातेदारी अधिकार पैदा हो गये है तथा वे इस आधार पर खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानून के प्रभाव से हकदार हो गये है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण किसी प्रकार से नही किया जावे एव राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता नाहरसिह सोलकी द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया जिस पर सुना गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अप्रार्थी अधिवक्ता को बहस वास्ते अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नही।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुडा विश्नोइयान के खसरा नम्बर 11/2 रकबा 7 बीधा खसरा नम्बर 12 रकबा 19 बीधा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 17/1 रकबा 21 बीधा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 141/3 रकबा 16 बीधा कुल रकबा 63 बीधा 11 बिस्वा अप्रार्थी को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्रया मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थी ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि विवाद ग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी के खसरा नम्बर 11/2 रकबा 7 बीधा खसरा नम्बर 12 रकबा 19 बीधा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 17/1 रकबा 21 बीधा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 141/3 रकबा 16 बीधा कुल रकबा 63 बीधा 11 बिस्वा मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी